राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5(3)नविवि/3/99पार्ट   जयपुर दिनांक:-23 NOV 2016

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 74 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के निमय-7ए, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज के ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:-

1. बकाया वार्षिक लीज राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट दी जायेगी।
2. उक्त छूट अंतिम तिथि 31.12.2016 तक प्रभावी रहेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101604482 दिनांक 23.11.2016 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23/11/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन/वित्त विभाग।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
9. सभी संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
12. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)।
13. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
14. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

23/11/16

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम